राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय खान एवं भू विज्ञान
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,
खनिज भवन/Khanij Bhawan, उदयपुर/Udaipur – 313 001.
दूरभाष/Phones: 2415091-95, फेक्स / Fax: (0294) – 2410526
E-mail : dmg-raj.org

क्रमांकःनिखाभू/अज/सीसी–5/प–1(1) 76/2007/1713 दिनांकः–29–07–2009

आदेश

चूंकि श्री चेतन अरोड़ा, निवासी अजमेर (राज0) द्वारा प्रधान खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 22(1) के अन्तर्गत खनिज फैल्सपार, क्वार्टज के लिए निकट ग्राम देवखेडा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर में खनन पट्टा अनुदान हेतु दिनांक 01–02–2007 को कार्यालय खनि अभियन्ता, अजमेर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

और चूंकि निदेशालय संतुष्ट है कि आवेदक राज्य में प्रवर्तमान सम्बद्ध नियमों के अनुसार उवत क्षेत्र में खनन पट्टा अनुदान हेतु उपर्युक्त पक्ष(पार्टी) है तथा वह क्षेत्र जिसके लिए आवेदक द्वारा रियायत चाही गई है, अनुदान के लिए रिक्त है एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर–वृत, जयपुर के पत्र क्रमांक SME/JP/Mining Plan/17/2009/1226 दिनांक 15–06–2009 के द्वारा नियमानुसार माईनिंग प्लान एवं प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान का अनुमोदन हो चुका है।

अतः खनिज रियायत नियम–1960 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,1957 तथा उसमें समय समय पर हुए संशोधनो, उल्लेखित निबंधो और प्रतिबन्धो पर आवेदक के पक्ष में निम्नांकित खनन पट्टा स्वीकृत किया जाता है:–

1.	खनिज	फैल्सपार, क्वार्टज
2.	क्षेत्रफल एवं क्षैत्र का विवरण	4.0017 हैक्टेयर निकट ग्राम देवखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर में विवरण पत्र के अनुसार वास्तविक क्षैत्रफल मौके पर सीमांकन के समय उपलब्ध भूमि के अनुसार निर्धारित होगा।
3.	खनन पट्टा अवधि	संविदा पंजीयन की तिथि से 30 वर्ष तक।
4.	स्थिर भाटक	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) एक्ट, 1957 की तृतीय अनुसूची के अनुसार एवं समय समय पर उसमें संशोधनानुसार।
5.	प्रतिभूति राशि	रू. 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये मात्र)
6.	अधिशुल्क	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की द्वितीय अनुसूची के अनुसार एवं समय समय पर उसमें संशोधनानुसार।
7.	भूतल भाटक	जैसा कि राजस्व अधिकारी निर्धारित करें।
8.	अन्य कर	राजकीय नियमानुसार।
9.	अन्य शर्ते	1–पट्टाधारी संविदा निष्पादन से पूर्व एम0सी0डी0आर0 1988 के नियम 23(एफ) के तहत वित्तीय आश्वासन के रूप में रूपया 15,000/– प्रति हैक्टेयर अथवा रूपया एक लाख जो भी अधिक हो, उसके बराबर नियमों में दिये गये प्रावधान के अनुसार जमा करायेगा।

नोटः–

1. यदि अनुदानी इस आदेश की तारीख से छः माह के भीतर समुचित इकरारनामा निष्पादित नहीं करायेगा तो यह आदेश बिना सूचना के ही प्रतिसंहृत (रिवोक) कर दिया जायेगा।
2. जब तक अनुदानी समुचित इकरारनामा निष्पादित कर संविदा का पंजीयन करा प्रस्तुत नहीं कर दे, तब तक क्षेत्र में खनन कार्य आरम्भ नहीं करेगा।

3. Reconnaissance Permit एवम पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के तहत क्षेत्र बेस मेटल के हवाई सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण कार्य हेतु स्वीकृत Reconnaissance Permit एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र धारक को पूर्वेक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

4. Reconnaissance Permit एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के तहत क्षेत्र में कोई बेस मेटल पाया जाता है एवं बेस मेटल का कोई खनन पट्टा स्वीकृत होता है,तो आपके पक्ष में स्वीकृत खान को अनुदान हेतु छोड़ना होगा।

25.7.09

निदेशक,
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
राजस्थान,उदयपुर

क्रमांकःनिखाभू/अज/सीसी–5/प–1(1)76/2007/1714–24 दिनांकः–29–07–09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. खनि अभियन्ता, अजमेर को उनके पत्र क्रमांकः 5625 दिनांक 11–09–2008 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ कि :–
   (क) संविदा निष्पादन हेतु समस्त औपचारिकताए स्वीकृति आदेश प्राप्ति की तिथि से 45 दिन के भीतर पूर्ण करावे एवं संविदा निष्पादन आदेश जारी होने की तिथि से छः माह में किया जावे।
   (ख) सीमांकन रिपोर्ट में इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा दिया जायेगा कि सीमांकित क्षेत्र वन भूमि में नहीं आता है एवं वन भूमि से 25 मीटर से अधिक दूरी पर है।
   (ग) आवेदक से आदेश के नोट में अंकित क्रम संख्या 3 व 4 के अनुसार अण्डर टेकिंग प्राप्त कर संविदा निष्पादन करें।

2948
30/7/09

रजि.ए.डी.2. श्री चेतन अरोडा पुत्र श्री एच0आर0कुमार, निवासी– 4/45 साकेत नगर, ब्यावर जिला अजमेर(राज0) को भेज कर लेख है कि संविदा निष्पादन की पूर्ण औपचारिकता आदेश प्राप्ति के 45 दिन के भीतर पूर्ण करावे एवं आदेश जारी होने की तिथि से 6 माह में संविदा निष्पादन आवश्यक रूप से करावे, अन्यथा बिना सूचना के स्वीकृति आदेश विलोपित कर दिया जावेगा।

3. महा नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों, प्रथम मंजिल, डी. ब्लोक सिविल लाईन, इन्दिरा भवन, नागपुर।
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों, अजमेर।
5. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर जोन, जयपुर।
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर–वृत, जयपुर।
7. जिला कलक्टर, अजमेर।
8. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर।
9. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
10. अधीक्षक भूवैज्ञानिक, रिमोट सेंसिंग, के0का0,उदयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण खनि अभियन्ता(मु0ाा)